



# राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर

स्मरण पत्र

दिनांक :- 30/5/23

क्रमांक- ले.वि/ऑडिट/2023-24/7421-7521

समस्त विभागाध्यक्ष/प्राचार्य/निदेशक,  
राजस्थान विश्वविद्यालय,  
जयपुर।

विषय :- विभिन्न आंतरिक जांच प्रतिवेदनों के बकाया आक्षेपों की अनुपालना प्रेषित करने बाबत।  
प्रसंग :- इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र क्रमांक 7139-42 दिनांक 09.03.2023

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र की प्रति आपके सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न कर लेख है कि प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा निर्देशित किया गया है कि राजस्थान विश्वविद्यालय से संबंधित विभागाध्यक्ष/प्राचार्य/निदेशक तथा अन्य शाखाओं में आंतरिक जांच अंकेक्षण प्रतिवेदनों समाविष्ट आक्षेपों की ठोस एवं सारगर्भित अनुपालना रिपोर्ट साक्ष्यों सहित प्राप्त कर आक्षेपों पर अग्रिम कार्यवाही निर्धारित समय पर की जावे, ताकि किसी भी प्रकार की वित्तीय एवं अन्य अनियमितताओं की पुनरावृत्ति नही हो। लेकिन कतिपय विभागों प्राणी शास्त्र, उर्दू, गणित एवं साउथ एशिया विभागों के अतिरिक्त किसी भी अन्य इकाई द्वारा इस संदर्भ में ठोस कार्यवाही नहीं की है जो खेदजनक है।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि आपकी इकाई से संबंधित विभिन्न आंतरिक जांच अंकेक्षण प्रतिवेदनों के बकाया आक्षेपों की ठोस एवं सारगर्भित अनुपालना 10 दिवस में आवश्यक रूप से उपलब्ध कराने का श्रम करें। यदि इस संदर्भ में किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो व्यक्तिशः उपस्थित होकर लेखा ऑडिट शाखा में पदस्थापित सहायक लेखाधिकारी - प्रथम/द्वितीय से भी मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

वित्त नियंत्रक एवं  
वित्तीय सलाहकार

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय एवं कुलाधिपति।
2. PS, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त।
3. PA, सचिव उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, माननीय कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
6. Dy. Registrar (Establishment-I/II/GAD), राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
7. समस्त विभागाध्यक्ष/प्राचार्य/निदेशक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
8. गार्ड फाइल।

1. निदेशक, इन्फोनेट सेक्टर - विश्वविद्यालय सचिव पर  
अपलोड करें।

वित्त नियंत्रक एवं  
वित्तीय सलाहकार